फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

मोटाराम बनाम गजाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 106/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.06.2020	प्रार्थी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भोजासर पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित करने व प्रार्थी का जबरदस्ती बैदखल करने एवं ग्रेवल सड़क का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 20.06.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा भोजासर पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 121/442, 104, 107, 116, 124, 282, 300, 33, 34, 35, 43, 532/143, 534/143, 89 रकबा क्रमशः 4.0450, 5.1372, 0.1537, 3.2279, 3.4221, 2.7182, 3.5272, 0.0081, 0.243, 5.8086, 11.0348, 1.6827, 0.4207, 1.5371 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के कब्जे व काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 किसी प्रकार दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें। न ही विप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 किसी प्रकार की ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 20.06.2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) 12.6.2020 सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:05:50 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें

23.6.2020 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री घमण्डाराम सारण उप. है। प्रार्थी उप. है। वजह मूलवाद 73/2020 खारिज ट्रिब्यूनल से खारिज किया गया है। अतः पत्रावली चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र व स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल हो।

विवेक व्यास
23.6.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

मो.रा.वि

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:05:50 IST
Reason: SelfAttested